"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 मई 2013—वैशाख 26, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-108/2012/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 6 के उप-नियम (7) के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(घ) चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा और प्रतियोगी परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर प्रस्तावित मेरिट लिस्ट या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों एवं डी.एड/बी.एल.एड/बी.एड में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार चयन किया जायेगा."

2. अनुसूची-तीन के टीप-(5) की प्रविष्टि (एक) में, शब्द "बी.एड" के स्थान पर, शब्द "बी.एल.एड" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. अनुसूची-तीन के टीप (5) की प्रविष्टि (दो) में, जहां कहीं भी शब्द "बी.एड" आया हो के पश्चात्, शब्द "/डी.एड." अंत:स्थापित किया जाए.

4. अनुसूची-तीन की टीप (5) की प्रविष्टि (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित की प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(तीन) व्याख्याता (नगरीय निकाय) की नियुक्ति के लिए, स्नातक में अभिप्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर 20 अंक, स्नातकोत्तर में अभिप्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर 50 अंक, बी.एड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर 30 अंक दिये जायेंगे."

5. अनुसूची-चार के परिशिष्ट के खण्ड (ब) के उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) स्नातक और डी.एड, अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)"

6. अनुसूची-चार के परिशिष्ट के खण्ड (स) के उप-खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा "प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र" में चार वर्षीय उपाधि (बी.एल.एड)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त की गई होनी चाहिए.

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो).

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा.

7. अनुसूची-चार के परिशिष्ट के खण्ड (स) के उप-खण्ड (2) के टीप-2 में, शब्द "बी.एड" के स्थान पर, शब्द "बी.एल.एड" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

क्रमांक एफ 4-108/2012/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 4-108/2012/18, दिनांक 16-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 16th May 2013

NOTIFICATION

No. F 4-108/2012/18.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 95 read with Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Shikshak (Nagariya Nikay) Samvarg (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For clause (d) of sub-rule (7) in Rule 6, the following shall be substituted namely :—
   "(d) There shall be no interview in the selection process and the selection shall be made according to the merit list proposed on the basis of marks obtained in the competitive test or in the minimum educational qualification examination and marks obtained in D.Ed/B.El.Ed/B.Ed."

2. In entry (i) of Note (5) of Schedule-III, for the word "B.Ed", the word "B.El.Ed" shall be substituted.

3. In entry (ii) of Note (5) of Schedule-III after the word "B.Ed" wherever it occurs the symbol and word "/D.Ed" shall be inserted.

4. After entry (ii) of Note-(5) of Schedule-III, the following entry shall be added, namely :—
   "(iii) For appointment as Lecturer (Municipal), 20 marks on the basis of percentage of marks obtained in Graduation, 50 marks on the basis of percentage of marks obtained in Post-Graduation and 30 marks on basis of percentage of marks obtained in B.Ed, shall be given."

5. For sub-clause (a) of clause (B) of Annexure to the Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :—
   "(a) Graduation and D.Ed or two years diploma in Elementary Education Science (by whatever name called)."

6. For Sub-clause (1) of Clause (c) in Annexure to the Schedule-IV the following shall be substituted, namely :—
   "(1) Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and four years degree in Elementary Education Science (B.El.Ed).

   OR

   Higher Secondary with minimum 45% marks (or its equivalent) and two years diploma in Elementary Education Science which must have been obtained in accordance with National Council for Teacher Education (Recognition, Standards and Procedure) Regulations, 2002.

   OR

   Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and two years diploma in Elementary Education Science (by whatever named called)

   OR

   Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and two years diploma in Education Science (Special Education)

7. In Note-2 of sub-clause (2) of Clause (C) of Annexure to the Schedule-IV, for the word "B.Ed", the word "B.El.Ed" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-108/2012/18.—छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013 की इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-108/18/2012, दिनांक 08-03-2013 में निम्नानुसार पढ़ा जाए, अर्थात् :—

शुद्धि पत्र

2. (i) अनुसूची-तीन में सरल क्रमांक 2(क), 2(ख), 2(घ) कॉलम (5) में शब्द "शिक्षा विज्ञान" के स्थान पर "शिक्षा शास्त्र" के रूप में पढ़ा जाए.

(ii) अनुसूची-तीन में सरल क्रमांक 3(क) कॉलम (5) में शब्द "शिक्षा शास्त्र" के रूप में पढ़ा जाए.

(iii) अनुसूची-तीन की टीप (5) का खण्ड (एक) में शब्द "(पंचायत)" के स्थान पर "(नगरीय निकाय)" के रूप में पढ़ा जाए.

3. (ii) अनुसूची-चार के परिशिष्ट का खण्ड (ब) में जहां भी शब्द "शिक्षा विज्ञान" आया है, के स्थान पर "शिक्षा शास्त्र" के रूप में पढ़ा जाए.

तथा

अनुसूची-चार के परिशिष्ट का खण्ड (स) का उप-खण्ड (2) की टीप 2 (क) तथा (ख) में "प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान" के स्थान पर "प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र" के रूप में पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.